

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला इन्दौर मध्य प्रदेश
E-mail: indore@mptownplan.gov.in
क्रमांक INDLP20122412641

प्रति,

(tapan agarwal)-MS AGARWAL REAL INFRA LLP TARFEE PARTNER 1), SHRI TAPAN AGARWAL S/O SHRI VINOD KUMAR AGARWAL
02 chameli park goyal nagar indore 452018

Indore, म.प्र.

विषय:- ग्राम-Maya khedi तहसील-Kanadiya जिला-Indore स्थित खसरा क्रमांक 131/1/2, 134/1/3, 137/196/1, 137/196/2, 137/196/3/2, 138/2, 138/3 कुल रकबा 4.055 हेक्टेयर (40550.00 वर्गमीटर) में से 4.0550 हेक्टेयर पर RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING विकास हेतु अनुज्ञा बावत्।
परियोजना का नाम- "EMERALD CRESCENT "

संदर्भ- आपका आवेदन दिनांक 23/DEC/2024 एवं आपके द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जानकारी

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि ग्राम-Maya khedi तहसील-Kanadiya जिला-Indore स्थित खसरा क्रमांक 131/1/2, 134/1/3, 137/196/1, 137/196/2, 137/196/3/2, 138/2, 138/3 कुल रकबा 4.055 हेक्टेयर (40550.00 वर्गमीटर) में से 4.0550 हेक्टेयर पर भूमि जिसका भूमि उपयोग Indore विकास योजना 2021 में "RESIDENTIAL." निर्दिष्ट है। पर RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING विकास हेतु अनुज्ञा चाही गई है।

उक्त तारतम्य में आवेदक श्री/श्रीमति/मेसर्स (tapan agarwal)-MS AGARWAL REAL INFRA LLP TARFEE PARTNER 1), SHRI TAPAN AGARWAL S/O SHRI VINOD KUMAR AGARWAL द्वारा विकास हेतु अनुमति बावत् ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है। Indore विकास योजना 2021 की कंडिका में RESIDENTIAL भूमि उपयोग में RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING विकास स्वीकार्य गतिविधि है।

प्रश्नाधीन स्थल का निरीक्षण दिनांक 24/DEC/2024 को आवेदक/अधिकृत प्रतिनिधि श्री (tapan agarwal)-MS AGARWAL REAL INFRA LLP TARFEE PARTNER 1), SHRI TAPAN AGARWAL S/O SHRI VINOD KUMAR AGARWAL की उपस्थिति में उनके द्वारा बतलाई गई सीमा के अनुसार किया गया है, भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः RESIDENTIAL भूमि उपयोग में RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING विकास हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 (1) के प्रावधानों अनुसार अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जा रही है:-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:
 - (1) राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में)।
 - (2) मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959
 - (3) मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956
 - (4) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल
 - (5) म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021.
 - (6) अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसे प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में आवेदन हेतु शुल्क रूपये 25000.00/ रसीद क्रमांक 24122303193183706723 दिनांक 23/DEC/2024 एवं विकास अनुज्ञा शुल्क रूपये 305000.00 / रसीद क्रमांक 25010736250201518836 दिनांक 07/JAN/2025 द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अध्वधीन है। यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।
3. संलग्न मानचित्र को भूस्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
4. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार एक वृक्ष प्रति 100 वर्गमीटर के मान से स्थल पर वृक्षारोपण करना होगा। विद्यमान वृक्षों को यथासम्भव यथावत रखना होगा।

Signature valid

Digitally Signed by
Shubhashish Banerjee
Date: 08-01-2025 15:36:09

5. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 14.09.2006 तक यथा संशोधित अधिसूचना 01.09.2009 एवं 14.03.2019 के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 150000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरीय और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ523/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है। तो इकाई प्रबंधन को संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अथवा स्टेट ऑफ यूनिनियन टेरिटरी लेवल इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथॉरटी (एसईआईए) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही परियोजना से जुड़े निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आई.ए. क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार कालोनी में पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
6. म0प्र0 भूमि विकास नियम2012 के नियम52 का पालन करना होगा एवं नियम88 के प्रावधान अनुसार भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जावेगा। इन प्रक्रियाओं का पालन करना आवेदक का दायित्व होगा जो कि सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में सुनिश्चित किया जायेगा।
7. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी। उक्त समयावधि में संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त कर विकास कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। समयावधि समाप्त होने के पूर्व यदि विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, आवेदक/संस्था द्वारा आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एकएक वर्ष) के लिये बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
8. म0प्र0 भूमि विकास नियम2012 के नियम81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन प्रणाली हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जा सकेगा।
9. विषयांकित भूमि के प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमियों पर निर्मित/अनुमोदित मार्गों, प्रस्तावित मार्गों, भूखण्डों, खुले क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों की निरंतरता का समायोजन किया जावे।
10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा अक्स/बटांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जवाबदारी आवेदक की होगी।
11. इस अभिलेख को भूस्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
12. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन भूमि स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीबाल से अवरूद्ध न किया जावे इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
13. यह अनुज्ञा जी.आई. एस . (Geo Coordinates System (GCS) system WGS84) का उपयोग कर जारी की जा रही है। विकास योजना में दर्शित भूमि उपयोग WGS84 पर अंकित किये गए हैं, जिस पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूस्वामित्व दस्तावेज (खसरा मानचित्र) के Geo Coordinates भी दिए गए हैं। जारी की जा रही नियोजन अनुज्ञा में दर्शित सीमाओं के Geo Coordinates परिवर्तित होने पर भूमि उपयोग में परिवर्तन संभावित है। खसरा मानचित्र के Geo Coordinates परिवर्तित होने पर यदि कोई भूमि उपयोग परिवर्तित होता है तो जारी की गई अनुज्ञा को कार्यालय से संशोधित कराना होगा अन्यथा जारी की गई नियोजन अनुज्ञा प्रभाव शून्य हो जावेगी।
14. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 88 के प्रावधान अनुसार भवनों का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जावेगा। इन प्रक्रियाओं का पालन करना आवेदक का दायित्व होगा जो कि सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में सुनिश्चित किया जायेगा।
15. भूमि की सीमाएं राजस्व विभाग के द्वारा सत्यापन की गई ही मान्य होगी, तथा भूमि की वैधानिकता के संबंध में किसी भी प्रकार से भूमि स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पायी पर अथवा अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिक्वोक) की जा सकेगी।
16. इन्दौर विकास योजना2021 तथा म.प्र. भूमि विकास नियम2012 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत भूखण्डों के सीमांत खुला क्षेत्र, भवन अनुज्ञा जारी करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। मानचित्र में डिजिटिजेशन की वजह से भिन्नता होने की स्थिति में इन्दौर विकास योजना2021 तथा म.प्र. भूमि विकास नियम2012 के प्रावधानों अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।
17. यह अभिन्यास आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग की जारी सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदन किया गया है। यदि मौके पर विकास कार्य करने के दौरान भूमि की चर्तुसीमाओं में किसी भी प्रकार से परिवर्तन होता है तो, संशोधित अभिन्यास पुनः इस कार्यालय से नियमानुसार अनुमोदित कराना जाना होगा।
18. स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जलमल, विद्युत, ड्रेनेज, आदि का विकास स्थानीय संस्था की देखरेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
19. यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा अधिमान्य उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
20. प्रश्नाधीन प्रकरण नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कॉलोनी विकास हेतु म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 प्रभावशील है। उक्त नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त, नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के अन्तर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुए संशोधित विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार कमजोर आयवर्ग तथा निम्न आयवर्ग हेतु आश्रय निधि जमा करने का विकल्प चयन किया गया है। कॉलोनाईज कर के विकल्प को मान्य करने का अधिकार म.प्र. नगर पालिका

Signature valid

Digitally Signed by
Shubhashish Banerjee
Date: 08-01-2025 15:36:09

(कॉलोनी विकास) नियम 2021 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी को है। इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से कर मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। इस हेतु आवेदक से नियमों में प्रावधानित आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करवाकर आवेदक का प्रस्ताव मान्य करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकल्प मान्य किये जाने पर ही विकास अनुमति प्रदान की जावे। यदि सक्षम प्राधिकारी विकल्प से सहमत न हो, तो तदनुसार सूचित करने पर कार्यालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी के बताये अनुसार अभिन्यास में आवश्यक संशोधन मान्य किये जा कर सूचित किया जावेगा।

21. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध न किया जावे। इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
22. प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
23. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामी से म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के अन्तर्गत कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अथवा कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत विकासकर्ता से पंजीकृत विकास अनुबंध प्राप्त करने के पश्चात् ही विकास अनुमति जारी की जावे।
24. प्रश्नाधीन भूमि में से होकर निम्न दाब विद्युत लाईन गुजरने की स्थिति में, उक्त विद्युत लाईन को सक्षम प्राधिकारी विद्युत विभाग, जिला इन्दौर से नियमानुसार हटाने के पश्चात् ही विद्युत लाईन के नीचे निर्माण/विकास कार्य एवं भूखण्डों का विक्रय किया जाना आवश्यक होगा।
25. इन्दौर विकास योजना 2021 अनुसार जल निकाय/जलस्रोत से लगी भूमि पर नाले के उच्चतम जल स्तर सीमा से 9.0 मीटर और नदी के मामले में 30.0 मीटर दूरी तक निर्माण करना प्रतिबंधित होगा।
26. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 के प्रावधानों अनुसार विददुत लाइनों से आवश्यक दूरी छोड़ना आवश्यक होगा।
27. विषयांकित भूमि के आसपास जारी अनुमति के समन्वय मार्गों से 9.0 मीटर चौड़ा पहुँच मार्ग छोड़ना आवश्यक होगा तथा मार्ग से प्रभावित भूमि पर किसी भी प्रकार से अन्य निर्माण/विकास कार्य प्रतिबंधित रहेगा।
28. किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या तथ्य छुपाये जाने की दशा में या भूमि/भू स्वामित्व संबंधी, पहुँच मार्ग संबंधी विवाद होने की दशा में म.प्र. भूमि विकास नियम के नियम 25 के तहत प्रदान की गई अनुज्ञा को प्रतिसंहित किया जा सकेगा।
29. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में इन्दौर विकास योजना 2021 अनुसार मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से दोनों ओर 15.0/15.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु खुली रखना आवश्यक होगा। जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मान्य नहीं होगा।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला इन्दौर म.प्र.

क्रमांक INDLP20122412641/ दिनांक / 08/JAN/2025

प्रतिलिपि:-

1. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, Indore को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील Kanadiya (संबंधित वृत्त), जिला Indore की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में “नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का लेआउट स्वीकृत हो गया है: की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला Indore। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी कालोनी सेल एकल खिडकी प्रणाली नगर पालिक निगम Indore इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क व सेवाकर, माणिकबाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
8. वरिष्ठ पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. तहसीलदार, तहसील कनाडिया, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला इन्दौर म.प्र.

Signature valid

Digitally Signed by
Shubhashish Banerjee
Date: 08-01-2025 15:36:09



Annexure - 1

Application No.

INDLP20122412641

SCHEDULE OF PLOTS

Plot No.	Plot Area (Square Meter)	Average Plot Dimension(Meter)	MOS (Meter)			
			Front	Rear	Side 1	Side 2
2	235.16	11.9 x 19.8	3.0	3.0	3.0	3.0
3	232.37	11.9 x 19.5	3.0	3.0	3.0	3.0
4	229.63	11.9 x 19.3	3.0	3.0	3.0	3.0
5	227.01	11.9 x 19.1	3.6	3.0	3.0	3.0
6	224.26	11.9 x 18.9	3.0	2.5	3.0	3.0
7	221.80	11.9 x 18.7	3.6	2.5	3.0	3.0
8	219.93	11.9 x 18.5	3.6	2.5	3.0	3.0
9	218.51	11.9 x 18.4	3.6	2.5	3.0	3.0
10	217.53	11.9 x 18.3	3.6	2.5	3.0	3.0
11	217.43	11.9 x 18.3	3.0	2.5	3.0	3.0
12	218.17	11.9 x 18.4	3.0	2.5	3.0	3.0
13	221.35	11.9 x 18.6	3.0	2.5	3.0	3.0
14	224.10	11.9 x 18.9	3.0	2.5	3.0	3.0
15	226.03	11.9 x 19.0	3.0	3.0	3.0	3.0
16	279.74	14.5 x 19.3	3.0	3.0	3.0	3.0
17	179.08	9.1 x 19.6	3.0	1.5	3.0	0.0
18	180.82	9.1 x 19.8	3.0	1.5	3.0	0.0
19	182.34	9.1 x 20.0	3.0	1.5	3.0	0.0
20	184.16	9.1 x 20.1	3.0	1.5	3.0	0.0
21	136.19	12.7 x 10.8	3.0	1.5	3.0	3.0
22	114.46	9.1 x 12.5	3.0	1.5	3.0	0.0
23	126.45	9.1 x 13.8	3.0	1.5	3.0	0.0
24	138.71	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
25	151.96	9.1 x 16.6	3.0	2.5	3.0	0.0
26	163.49	9.1 x 17.9	3.0	2.5	3.0	0.0
28	162.61	10.7 x 15.2	3.0	2.5	3.0	1.5
29	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
30	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
31	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
32	138.79	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
33	152.22	10.0 x 15.2	3.0	2.5	3.0	0.0
34	190.32	12.5 x 15.2	3.0	2.5	3.0	3.0
35	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
36	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
37	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
38	156.56	8.6 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
39	167.20	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
40	157.29	8.6 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
41	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
Signature valid	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0

Digitally Signed by
Shubhashish Banerjee
Date: 08-01-2025 15:36:09

* Average length and width mentioned above are shown as entered by Applicant/Consultant



Annexure - 1

Application No.

INDLP20122412641

SCHEDULE OF PLOTS

Plot No.	Plot Area (Square Meter)	Average Plot Dimension(Meter)	MOS (Meter)			
			Front	Rear	Side 1	Side 2
43	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
44	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
45	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
46	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
47	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
48	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
49	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
50	167.17	9.1 x 18.3	3.0	2.5	3.0	0.0
51	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
52	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
53	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
54	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
55	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
56	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
57	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
58	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
59	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
60	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
61	131.06	8.6 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
62	139.32	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
63	130.45	8.6 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
64	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
65	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
66	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
67	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
68	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
69	144.87	9.5 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
70	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
71	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
72	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
73	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
74	139.36	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
75	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
76	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
77	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
78	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
79	158.12	10.4 x 15.2	3.0	2.5	3.0	0.0
80	164.69	10.8 x 15.2	3.0	2.5	3.0	0.0
81	138.65	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
Signature valid	127.63	9.1 x 14.0	3.0	1.5	3.0	0.0

Digitally Signed by
Shubhashish Banerjee
Date: 08-01-2025 15:36:09

* Average length and width mentioned above are shown as entered by Applicant/Consultant



Annexure - 1

Application No.

INDLP20122412641

SCHEDULE OF PLOTS

Plot No.	Plot Area (Square Meter)	Average Plot Dimension(Meter)	MOS (Meter)			
			Front	Rear	Side 1	Side 2
83	130.14	9.1 x 14.2	3.0	1.5	3.0	0.0
84	117.75	9.1 x 12.9	3.0	1.5	3.0	0.0
85	141.26	10.4 x 13.6	3.0	1.5	3.0	0.0
86	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
87	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
88	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
89	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
90	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
91	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
92	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
93	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
94	139.36	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
95	139.29	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
96	145.16	9.1 x 15.9	3.0	1.5	3.0	0.0
97	160.97	9.1 x 17.6	3.0	2.5	3.0	0.0
98	174.81	9.1 x 19.1	3.0	2.5	3.0	0.0
99	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
100	139.35	9.1 x 15.2	3.0	1.5	3.0	0.0
102	139.63	9.1 x 15.3	3.6	1.5	3.0	0.0
103	139.74	9.1 x 15.3	3.6	1.5	3.0	0.0
104	221.47	10.9 x 20.4	3.6	2.5	3.0	0.0
105	184.57	9.1 x 20.2	3.6	2.5	3.0	0.0
106	183.38	9.1 x 20.1	3.6	2.5	3.0	0.0
107	181.96	9.1 x 19.9	3.6	2.5	3.0	0.0
108	180.18	9.1 x 19.7	3.6	2.5	3.0	0.0
109	177.96	9.1 x 19.5	3.6	2.5	3.0	0.0
110	176.11	9.1 x 19.3	3.6	2.5	3.0	0.0
111	174.51	9.1 x 19.1	3.6	2.5	3.0	0.0
112	174.90	9.1 x 19.1	3.6	2.5	3.0	0.0
115	170.27	9.1 x 18.6	3.6	2.5	3.0	0.0
116	169.83	9.1 x 18.6	3.6	2.5	3.0	0.0
117	169.88	9.1 x 18.6	3.6	2.5	3.0	0.0
118	170.58	9.1 x 18.7	3.6	2.5	3.0	0.0
119	171.34	9.1 x 18.8	3.6	2.5	3.0	0.0
120	172.14	9.1 x 18.8	3.6	2.5	3.0	0.0
121	173.21	9.1 x 19.0	3.6	2.5	3.0	0.0
122	174.18	9.1 x 19.1	3.6	2.5	3.0	0.0
123	174.10	9.1 x 19.1	3.6	2.5	3.0	0.0
124	173.88	9.1 x 19.0	3.6	2.5	3.0	0.0
Signature valid	173.78	9.1 x 19.0	3.6	2.5	3.0	0.0

Digitally Signed by
Shubhashish Banerjee
Date: 08-01-2025 15:36:09

* Average length and width mentioned above are shown as entered by Applicant/Consultant



Annexure - 1

Application No. INDLP20122412641

SCHEDULE OF PLOTS

Plot No.	Plot Area (Square Meter)	Average Plot Dimension(Meter)	MOS (Meter)			
			Front	Rear	Side 1	Side 2
126	173.63	9.1 x 19.0	3.6	2.5	3.0	0.0
SR1	295.36	20.0 x 14.8	6.0	3.0	3.0	3.0
SR27	170.30	9.1 x 18.6	3.6	2.5	3.0	0.0
SR101	135.46	8.9 x 15.3	3.6	1.5	3.0	0.0
SR113	218.39	11.4 x 19.3	3.6	2.5	3.0	3.0
SR114	220.64	12.6 x 18.8	3.6	3.0	3.0	3.0
SR127	173.35	9.1 x 19.0	3.6	2.5	3.0	0.0
SR128	145.83	11.8 x 12.3	3.6	1.5	3.0	0.0

* Average length and width mentioned above are shown as entered by Applicant/Consultant

Signature valid
Digitally Signed by
Shubhashish Banerjee
Date: 08-01-2025 15:36:09



Khasra/Nazul Plot Plan



Location Plan



Legend:

- Area Applied
- Road Widening
- Plot Area
- Community Open Space
- Service Area



Abbreviation:
 PW - Pathway
 SA - Service Area
 SR - Shop Cum Residential

**PROJECT NAME: EMERALD CRESCENT
 PROPOSED LAYOUT PLAN FOR THE DEVELOPMENT
 OF RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING
 at Village - Maya khedi , Tehsil - Kanadiya , District -
 Indore**

**Area Statement of Plotted Development for
 RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING**

S.No.	Description	Area	Unit	%
1	Area Applied for Permission	40550.00	Sqm.	
2	Area Under Road Widening	16.42	Sqm.	
3	Area Under Masterplan Road	0.00	Sqm.	
4	Not Included In Planning Area	0.00	Sqm.	
5	Net Scheme Area	40533.58	Sqm.	
6	Area Under Plots (SR Area)	21067.97 (1359.33)	Sqm.	51.977
7	Area Under Convenience Shop	0.0	Sqm.	0.00
8	Informal Sector	0.0	Sqm.	0.00
9	Community Open Space	4090.56	Sqm.	10.092
10	Service Area	406.3	Sqm.	1.002
11	Area Under Road Circulation	14163.36	Sqm.	34.942
12	Pathway	807.00	Sqm.	1.991

Area Statement for Informal Sector

S.No.	Description	Unit
1	Total No. of Saleable Residential Plots/DUs	Shelter Fee Nos
2	Req EWS & LIG Units/Plots As Per 15% of Total Plots/DU	Shelter Fee Nos
3	Req EWS Units/Plots As Per 60% of Above s.no.2	Shelter Fee Nos
4	Req LIG Units/Plots AS Per 40% of above s.no.2	Shelter Fee Nos
5	Proposed EWS & LIG Units/Plots As Per 15% of Total Plots/DU	Shelter Fee Nos
6	Proposed EWS Units/Plots As Per 60% of Above s.no.5	Shelter Fee Nos
7	Proposed LIG Units/Plots As Per 40% of above s.no.5	Shelter Fee Nos
8	Min Area of EWS Plot/Unit	0 Nos
9	Min Area of LIG Plot/Unit	0 Nos

Details of Ownership

S.no.	Khasra/Nazul Plot No.	Total Area (Ha.)
1	1383, 1382, 1371/961/92, 1371/961/2, 1371/961/2, 1371/961/1, 134/113, 131/112, (Tehsil: Kanadiya, Village-Maya khedi)	4.055

Application Number - INDLP20122412641
 Please refer Annexure-1 for details of individual plots

Authorised Signatory

Project

Client/Owner

Consultant / Architect Date

EMERALD CRESCENT

(Tapan agarwal)MS AGARWAL REAL INFRA LLP TARFEE PARTNER 1, SHRI TAPAN AGARWAL S/O SHRI MINOD KUMAR AGARWAL

20/DEC/2024

SIDDHARTH INANI